गुड़िया बनी वोटर

कपिल शर्मा
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

उस रोज़ शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं अपने मायके वापिस आयी थी, पिता जी, चाचाजी और घर के सभी मर्द ठेठ दोपहरी में आंगन मे बैठकर खाना खा रहे थे, घर की सभी औरतें एक–एक फीट का घूंघट ओढ़कर काम पर लगी हुई थी, टेलीविजन में चुनाव की खबरें चल रही थी और आगामी चुनाव में महिला उम्मीदवारों के ऊपर एक खबर दिखायी जा रही थी, घर के सभी मर्द चुनावी विश्लेषण के साथ महिला उम्मीदवारों के ऊपर भी अपना मंतव्य दे रहे थे।

पिता जी ने कहा था "देखो कितनी हिम्मती महिला है, घर के साथ नेतागिरी भी कर रही है",...

इस पर चाचा जी ने हामी भरी, "सही में अब तो साधारण सी औरतें भी हर जगह काम कर रही है, राजनीति में आ रही है, जमाना बदल रहा है, बड़ी बात है।

तभी भईया की आवाज आयी थी कि "मुन्नू की मां, थोड़ा चावल ज्यादा लाओ चाचा जी के लिए और दाल भी ले आओ।"

भाभी सरपट दौड़कर दाल और चावल ले आयी थी, मै ये सब देख ही रही थी कि तभी दरवाजे पर ठक–ठक हुई...

मै चूंकि घर–गांव की बेटी थी, इसलिए घर की अन्य महिलाओं की अपेक्षा मुझे कुछ अधिकार अधिक प्राप्त थे, इसलिए दरवाजा खोलने के लिए मैं आगे बढ़ी, "मैंने पूछा कौन है।"

उधर से आवाज आयी "बंशी चाचा बीएलओ।"

बंशी चाचा हमारे गांव के मतदान केन्द्र के मतदान केन्द्र अधिकारी थे, इस कारण गांव में उनका काफी सम्मान था। बचपन से ही हम सारे बच्चे उन्हें बीएलओ चाचा, बीएलओ चाचा कह कर पुकारते थे।

मैंने दरवाजा खोला और बीएलओ चाचा को नमस्कार करते हुए अंदर आने को कहा, तब तक पिता जी की भी पीछे से आवाज आयी, "अरे बंशी भाई आ जाओ, आ जाओ"...

बीएलओ चाचा ने नमस्कार का जवाब देते हुए पिता जी से कहा कि, "गांव आया तो पता चला कि गुड़िया बिटिया शादी के बाद आयी हुई है तो आशीर्वाद देने चला आया, इसकी शादी में भी नहीं आ पाया था। बिटिया खुश रहो, आगे बढ़ो, जो चाहो वो मिले, हमारा आशीर्वाद है, मंगलकामनाएं है।"

मैंने कहा, "बीएलओ चाचा आपका आशीर्वाद तो तभी फलीभूत होगा जब आप मेरा नाम बूथ की वोटर लिस्ट में जोड़ दें। देखिये अब मैं अठारह साल की भी हो गयी हूं।"

बीएलओ चाचा हँसते हुए बोले, "अरे बिटिया ये आशीर्वाद के साथ–साथ मेरा कर्तव्य भी है, भाई काहे नाम नहीं जोड़ेंगे।"

बीएलओ चाचा ने अपने बैग से एक फॉर्म निकाला और मुझे देते हुए बोले कि, "ये लो बिटिया ये फॉर्म 6 है, अपने क्षेत्र की विधानसभा में नाम जोड़ने के लिए इसी में आवेदन करना पड़ता है।"

मैंने फॉर्म को हाथ में लेते हुए बीएलओ चाचा से पूछा, "वो सब तो ठीक है चाचा लेकिन दस्तावेज कौन–कौन से लगेंगें।"

इस पर चाचा ने बताया कि, "भारतीय निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत 18 से 21 साल के बीच के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते समय आयु और जन्म तिथि के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, कक्षा आठ अथवा पांच की अंकसूची जिसमें उम्र दर्ज हो, पासपोर्ट, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार नंबर का दस्तावेज, इनमे से कोई एक देना होगा। इसके अलावा सामान्य निवास के प्रमाण के तौर पर बैंक/किसान/डाकघर की वर्तमान पास बुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर रिटर्न, किराया समझौता, पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल अथवा काई भी डाक या पत्र जो डाक विभाग द्वारा आवेदक के पते पर उसके नाम से भेजा गया हो। इन सभी प्रमाण पत्रों मे से कोई एक होना जरुरी है ..."

इतना सब सुन कर मैं तो चकरा गई, मैंने कहा "अरे चाचा रुकिए इतने दस्तावेज तो याद भी नहीं रहेंगे। मैं अपनी मार्कशीट और बैंक की पासबुक लाकर आपको देती हूं, तब तक आप बैठकर पिताजी से बात कीजिए।"

मैं अपने दस्तावेज निकालने अंदर चली आयी लेकिन पिता जी और बीएलओ चाचा की बातें मुझे सुनायी दे रही थी।

पिताजी कह रहे थे, "अरे बंशी भाई, काहे इसका नाम यहां जोड़ रहे हो, इसका आदमी विदेश में काम करता है, कतर में, दो साल के लिए वहां गया है। दो साल बाद जब वापिस लौटेगा तो ये अपनी ससुराल माधोपुर चली जायेगी, तब फिर यहां से नाम कटवाना पड़ेगा, फिर वहां नाम जुड़वाना पड़ेगा, इसके ससुराल के पते पर। अरे इसका नाम न जोड़ो, अपने ससुराल में ही जाकर जुड़वाए ये अपना नाम।"

पिताजी की बात सुनकर मैं अंदर से अपने कागजातों के साथ तेजी से बाहर आयी...

"नहीं पिता जी, ये आप गलत कह रहे है। जब वो वापिस आएंगे तब आएंगे लेकिन इन दो सालों में पड़ने वाले चुनावों में तो मैं अपने मत के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाऊँगी। दूसरी बात मतदाता बनना मेरा हक़ और पहचान, दोनों है... अभी तो आप टीवी में चुनाव लड़ रही महिला उम्मीदवारों को देखकर उनके सशक्तिकरण का बखान कर रहे थे और अब अपनी बिटिया को ही वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होने देना चाहते है।"

"सही कह रही है बिटिया,शतफीसदी सही और भाई तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी कर देता हूं। बिटिया की ससुराल यही माधोपुर है न जो बीस किलोमीटर दूर है, नगर बाजार से जुड़ा हुआ गांव है।" बीएलओ चाचा बोले...

पिताजी बोले, "हां भाई"

बीएलओ चाचा, "तो सुनो,माधोपुर भी इसी विधानसभा का हिस्सा है और भारत निर्वाचन आयोग के नियम के तहत कोई भी मतदाता अपनी विधानसभा के एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में प्रपत्र–8क में आवेदन देकर स्थानातंरित हो सकता है। जब बिटिया को वहां जाना होगा तो बिटिया का प्रपत्र 8क मैं प्राप्त कर लूंगा और माधोपुर के मतदान केन्द्र में स्थानातंरित करवा दूंगा। इसके लिए बिटिया का नाम वोटर लिस्ट से कटवाना नहीं पड़ेगा।"

इस पर पिता जी बीएलओ चाचा से बोले कि, "भाई ये तो ठीक है लेकिन समस्या यही खत्म नहीं होती है। गुड़िया का आदमी दो साल बाद कतर से जब वापिस आयेगा तो हो सकता है गुड़िया को वापिस अपने साथ कतर ले जाए तब क्या होगा। अपने सामान्य निवास

में नहीं पाए जाने वालों का तो आप लोग नाम काट देते हो, तो तब इसका नाम फिर से वोटर लिस्ट से कट जाएगा।"

अरे क्या बात करते हो भाई, शायद आपको भारत निर्वाचन आयोग के प्रपत्र 6क के बारे में नहीं पता है। विदेशों में रहने वाले लोग अपने पासपोर्ट और उम्र का दस्तावेज देकर इस प्रपत्र 6क में आवेदन देंगे तो विधानसभा की मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ने का प्रावधान है और मेरा मानना है कि गुड़िया का पति इस बीच में जब भी वापिस आए तो उससे कहना कि प्रपत्र 6क में आवेदन देकर प्रवासी निर्वाचकों की सूची में अपना नाम जुड़वा लें, इसके लिए चाहे तो वह डाक से भी अपना आवेदन निर्वाचक निबंधन अधिकारी के कार्यालय को भेज सकता है"...

पिताजी आश्चर्य मे बोले, "अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था।

बीएलओ चाचा ने कहा, "अरे यही नहीं भाई, भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा की मतदाता सूची में यदि आपका नाम, उम्र, पता, फोटो, संबंधी का नाम गलत छप गया है तो प्रविष्टि सुधारने का मौका भी देता है। इसके लिए आपको प्रपत्र 8 भर कर देना होगा और आपकी अशुद्ध प्रविष्टि भी सुधर जाएगी।"

"लेकिन बीएलओ चाचा एक और संशय है मन में वो भी दूर कर दीजिए, चाचा मैं अपने पति के साथ कतर वापिस नहीं जाना चाहती हूं और दूसरे बडे शहर में काम की तलाश में बस जाते है तब क्या वोट देने गांव के मतदान केन्द्र वापिस आना पड़ेगा।" मेरा सवाल था...

"नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है, तब तुम हमको अपना प्रपत्र 7 देना।"

मैंने जिज्ञासा मे पूछा की, ये "अब ये प्रपत्र 7 क्या है।"

बीएलओ चाचा ने समझाया "बिटिया जब वोटर लिस्ट से अपना नाम कटवाना होता है तो आवेदक प्रपत्र 7 में अपना आवेदन देता है। तुम्हें जब भी अपना नाम कटवाना हो तो मुझे प्रपत्र 7 देकर अपना नाम गांव के मतदान केन्द्र से कटवा सकती हो, अन्यथा जब घर–घर जाकर बीएलओ द्वारा मतदाताओं का निरीक्षण किया जाएगा तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा ...लेकिन अगर किसी दूसरे शहर में अपने पति के साथ रहने जाती हो और वहां की वोटरलिस्ट में नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6 मे आवेदन करती हो तो उस आवेदन पत्र की घोषणा की कंडिका 4 में इस बात का उल्लेख अवश्य कर देना कि इससे पूर्व तुम्हारा नाम मतदाता सूची में कहां पंजीकृत था। ऐसा करने पर तुम्हारा नाम उस शहर की विधानसभा में जोड़ लिया जाएगा और यहां गांव की मतदाता सूची से तुम्हारा नाम स्वतः कट जाएगा और कोई प्रपत्र 7 भी भरना नहीं पड़ेगा।"

"लेकिन चाचा इतना प्रपत्र कैसे याद रहेगा, यहां तो आप है, सब बता दे रहे हैं, अंजान जगह पर कैसे ये सब जानकारी मिलेगी।"

"अरे बड़ा आसान है बिटिया तुम तो कम्प्यूटर भी पढ़ी हो न, स्मार्टफोन भी चला लेती हो।

बिटिया ये सारे प्रपत्र भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं और फॉर्म भरने से संबंधित सारी जानकारी भी उपलब्ध है। तुम जब चाहो इस पोर्टल के जरिए अपना या अपने परिवार के सदस्य का आवेदन दे सकती हो।" बीएलओ चाचा बोले

बीएलओ चाचा मेरा एक आखिरी सवाल है, "मेरे घर में बड़ी भाभी का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, पिछले साल जबसे शादी होकर इस घर मे आई है", उनका नाम नहीं जोड़ा गया है, घर वालों की ओर से भी कोई खास प्रयास नहीं हुआ, उनका नाम जोड़ने के लिए भी प्रपत्र 6 दे दीजिए, लेकिन एक समस्या है भाभी मुझसे उम्र मे 4 साल बड़ी तो है लेकिन उनकी आयु प्रमाण का कोई भी कागजात नहीं है, उनके पिताजी का देहांत हो जाने के कारण उनकी शिक्षा बचपन मे ही रोक दी गयी थी, इसलिए उनका कोई शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज भी नहीं बना और अन्य दस्तावेज भी किसी ने नहीं बनवाएं"...

बीएलओ चाचा ने मामले को गंभीरता से सुना, बोले बिटिया इसका भी समाधान है "अरे बिटिया जब तुम 18 साल की हो गयी हो तो तुमसे आयु में बड़ी भाभी तो 18 साल से ज्यादा की ही होंगी, लेकिन फिर भी मै बता देता हूं कि ऐसे मामले जहां आवेदक की आयु 21 साल से अधिक है और उसे देखने में वह शारीरिक रुप से उतना ही लगता है तो बीएलओ या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा दिए गये आयु संबंधी घोषणा पत्र को ही आयु के साक्ष्य के रुप में स्वीकार कर लिया जाता है। यहीं नहीं 21 वर्ष से अधिक आयु वाले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुबंध 3 के प्रपत्र में भी घोषणा देंगे कि इसके पहले उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। यह जरुरी है।"

इतना सब सुनने के बाद मेरे मुंह से निकला कि, "वाह बीएलओ चाचा आयोग ने तो हर बात का हल सोच के रखा है, अब भाभी का फॉर्म भरवा कर भी आपको दे देती हूं।"

तभी बड़े भईया आगे आए और बोलो कि, "अरे अरे ये क्या कर रही हो, अपना नाम भरवाना है तो भरवाओ, इनका नाम जुड़वाने कि क्या जरुरत है, ये लोग घर से कहां निकलती हैं, तुम पढ़ लिख गयी हो तो करो ये सब लेकिन इन सबकों इस सब में न घसीटों"

ये सुनते ही मेरा पारा सांतवे आसमान पर चढ़ गया, मैंने कहा भईया, "उन मर्दों के बारे में सोचिए कि वे कैसे दोहरे स्वभाव के होंगे जो टेलीविजन, अखबार और पत्रिकाओं में दिख रही महिलाओं की प्रंशसा में कोई कसर नहीं छोड़ते, उन महिलाओं को हिम्मती, सशक्त कहते हैं, महिला खिलाड़ियों का खेल मनोरंजन के लिए देखते है, विधायक या सांसद चुनाव में खड़ी हुई महिला उम्मीदवारों का चुनावी विश्लेषण करते हैं, उनके निर्णयों को साहसी मानते हैं लेकिन अपने ही घर की महिलाओं को खूंटे से बांधकर रखना चाहते हैं, बहन, बेटी और पत्नी को मतदाता बनने के बुनियादी अधिकार उपलब्ध करवाने में भी उनकी रुचि नहीं है,

घर के अंदर वो एक सशक्त महिला नहीं चाहते, महिला की अस्मिता नहीं चाहते और सबसे बड़ी बात उनको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता की उनके घर की महिलाएं क्या सोचती होंगी अपनी इस बेबसी के बारे मे की एक छोटा सा निर्णय लेने के लिए भी उन्हें घर के मर्दों की और देखना पड़ रहा है... मुझे नहीं लगता भईया की आप वैसे मर्द हैं और इतना कह कर मैं चुप हो गयी थी।"

मेरी ये बात सुनकर घर के सब लोग हतप्रभ थे, कुछ पल शांति रही थी फिर मौन को तोड़ते हुए पिताजी ने कहा कि, "गुड़िया सही कह रही है और इसके निर्णय पर हम लोगों को इसके साथ होना चाहिए।"

ये सुनते ही मैं खुशी से झूम उठी थी और भाभी से गले लग गयी थी...

बीएलओ चाचा के मुंह से भी बरबस निकला था कि, "ये हुई न बात तो बोलो, बेटी बढ़ाओं, वोटर बनाओं, बेटी बढ़ाओं, वोटर बनाओं...

बीएलओ चाचा के इस नारे में मेरी आवाज भी मिल गयी और रात तक मैं इसे गुनगुनाती सी रही, बेटी बढ़ाओं, वोटर बनाओं... पहली बार अपने निर्णय पर घर के लोगों को सहमत होते देख एक अलग ही आत्मविश्वास मुझे महसूस हो रहा था....

फिर इस घटना के दो महीने बाद जनवरी का वह दिन हमारे लिए बहुत खुशनुमा था, मेरी भाभी और मुझमें एक स्फूर्ति सी महसूस हो रही थी, हमारे दिलों में दिवाली के दीये से जल रहे थे, भारत निर्वाचन आयोग ने उस दिन अपनी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया था और हम दोनों की पहचान अब भारतीय लोकतंत्र के पंजीकृत मतदाता के तौर पर भी थी।

गुड़िया अब वोटर बन गयी थी... वोटर...